MADHYA PRADESH POWER GENERATING COMPANY LIMITED
(A GOVT. OF MP UNDERTAKING)
OFFICE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR (O&M: GENERATION)
BLOCK NO.6, SHAKTI BHAWAN, RAMPUR, JABALPUR-482008 (M.P.)
PH. No. - (0761) -2661589 FAX No. – (0761) – 2664572, WEBSITE – www. mppgcl.mp.gov.in

No. – 07-03/EOI/BIOMASS/2021/1764 Jabalpur, dated 23/11/2021.

INVITATION OF "EXPRESSION OF INTEREST" (EOI) FOR AVAILABILITY OF MANUFACTURERS / SUPPLIERS OF PADDY STRAW AND OTHER AGRO RESIDUE BASED PELLETS / BIOMASS PELLETS FOR CO-FIRING OF BIOMASS PELLETS WITH COAL IN MPPGCL'S THERMAL POWER PLANTS".

Madhya Pradesh Power Generating Company Ltd. (MPPGCL) is a state own power generating company of M.P. with it's headquarter at Jabalpur. It has four coal based Thermal Power Plants (TPPs) having total capacity of 5400 MW namely ATPS, Chachai; SGTPS, Birsinghpur; STPS, Sarni & SSTPP, Khandwa.

MPPGCL intends to promote **BIOMASS** co-firing with coal in its TPPs in accordance to the directives of **CEA & Ministry of New & Renewable Energy, GoI**. For this purpose, an "**Expression of Interest"** is invited from interested parties (Manufacturers / Suppliers) for ensuring the availability of paddy straw and other agro residue based pellets / biomass pellets, willing to supply the same to the TPPs of MPPGCL.

Interested parties are requested to visit Home Page of the company's website **www.mppgcl.mp.gov.in** for detailed terms & conditions & downloading the document of "**Expression of Interest**" free of cost.

The due date of submission of proposal is up to 07/12/2021.

// SAVE ELECTRICITY //

E. D. (O&M: Gen.)
MPPGCL, Jabalpur

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

(MPPGCL)

(म.प्र. सरकार का उद्यम)

आमंत्रण

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

मध्य प्रदेश के

उद्यमियों / व्यक्तियों / एक मात्र प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप / सीमित देयता भागीदारी / कंसोर्टियम / कंपनी / सहकारी समितियां / प्रौद्योगिकी प्रदाता

द्वारा

MPPGCLके तापीय बिजली संयंत्रों हेतु कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों / बायोमास पेलेट्स की उपलब्धता हेतु

- इस EOI दस्तावेज़ में निम्नलिखित भाग शामिल हैं:

(i) अनुभाग- I : अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
(ii) अनुभाग- II : आवेदकों को सामान्य परिचय
(ii) अनुभाग- III : आवेदन पत्र

- <u>आवेदक को निर्देश</u>

1.0 अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए, अनुभाग- III में दिए गए आवेदन फॉर्म को विधिवत रूप से भरा जाए और आवेदक द्वारा हार्डकॉपी के साथ MPPGCL को भेजा जाए।

2.0 आवेदन भरने और जमा करने से पहले आवेदकों को खंड - I और खंड - II का अध्ययन कर लेना चाहिए।

खंड- I

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के लिए आमंत्रण

विस्तृत सूचना

दिनांक: 23/11/2021

धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों के उत्पादन और आपूर्ति द्वारा कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए MPPGCL के तापीय बिजली संयंत्रों को बायोमास पेलेट्स की उपलब्धता एवं आपूर्ति

1.0 MPPGCL (म.प्र. राज्य सरकार उद्यम) मध्य प्रदेश के उद्यमियों / व्यक्तियों / एक मात्र प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप / कंसोर्टियम / कंपनियों / सहकारी समितियों / प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेष आधारित पेलेट्स की उपलब्धता और आपूर्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करता है।

2.0 अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, MPPGCL धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों पर आधारित पेलेट्स का उपयोग करने की योजना बना रहा है, साथ ही कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीक द्वारा कोयले के साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है।

3.0 इस EOI को आमंत्रित करने का उद्देश्य कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए MPPGCL के तापीय बिजली संयंत्रों को आपूर्ति के लिए कृषि अवशेष आधारित पेलेट्स के निर्माण के लिए आवेदक को प्रोत्साहित करना है।यह मध्य प्रदेश में कृषि अवशेष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना करेगा एवम अधिशेष कृषि अवशेषों, जो अक्सर किसानों द्वारा आग लगाए जाते है और वायु प्रदूषण का कारण बनते है, का संग्रह, प्रसंस्करण, परिवहन आदि को प्रोत्साहित करेगा।

- <u>EOI भागीदारी के लिए पात्रता</u>

1.0 उद्यमी / व्यक्ति / एक मात्र प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप / कंसोर्टियम / कंपनी / कोऑपरेटिव सोसाइटीज / टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर (आवेदक) जिनके पास GSTIN और PAN है, वे EOI में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

2.0 आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष (व्यक्तिगत आवेदन के मामले में) होनी चाहिए।

3.0 आवेदक भारतीय राष्ट्रीयता का होगा और / या एक कंपनी / एक मात्र प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप / कंसोर्टियम / कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भारत में पंजीकृत है और / या अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति और / या एक मल्टी-नेशनल कंपनी वाले हैं, जिनका भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय / भारत में प्रवासी कार्यालय है।

4.0 ऐसे आवेदक जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं अथवा मध्य प्रदेश में जिनका अपना पंजीकृत कार्यालय है, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।

EOI का प्रकाशन

- इच्छुक आवेदक EOI के आवेदन एवम दस्तावेजों को www.mppgcl.mp.gov.in से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए EOI आवेदन पत्र को सॉफ्टकॉपी में निम्नलिखित ई-मेल आई-डी पर ई-मेल कर सकते हैं : -

To : edomg_mpeb@rediffmail.com

- पूर्ण रूप से भरे हुए EOI आवेदन पत्र को हार्डकॉपी में निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है: -

Office of the Executive Director (O&M:Generation)
Block No.6,Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur-482008 (M.P.)
Phone No. 0761-2661589/2702600
Fax No. 0761-2664572

- EOI जमा करने की अंतिम तिथि 07/12/2021 है।
- EOI को केवल भरे हुए EOI आवेदन पत्र की हार्डकॉपी प्राप्त करने के बाद ही मान्य माना जाएगा।
- भरे हुए आवेदन को प्रस्तुत करने से पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि EOI आवेदन सभी मामलों में पूरा होना चाहिए। हालाँकि, स्टार्टअप / व्यक्ति सम्बंधित कारण का उल्लेख करते हुए केवल प्रासंगिक विवरण भर सकते हैं। अपूर्ण EOI आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- MPPGCL के पास किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जो कारण बताए बिना EOI प्रक्रिया को रद्द / वापस ले सकता है और ऐसे मामले में, आवेदक इस तरह की कार्रवाई के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं कर सकता।

खंड- II:

MPPGCL का सामान्य परिचय

1.0 MPPGCL का संक्षिप्त विवरण

MP Power Generating Company Ltd, Jabalpur (MPPGCL) मध्यप्रदेश राज्य की प्रसिद्ध बिजली उत्पादक कंपनी है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, जिसके पास थर्मल और हाइडल पावर स्टेशन हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और जिनके आस-पास पनबिजली स्टेशनों का हिस्सा पड़ोसी राज्यों के साथ है। राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ-साथ कुछ जल विद्युत केंद्रों के राज्यों में एमपी राज्य का हिस्सा है। 31 मार्च 2021 तक की मौजूदा इकाइयों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है: -

Station			Installed Capacity		MPPGCL Share	Other State's Share	
			MW	Location	MW	MW	State's Name
Thermal Plants	Amarkantak TPS		210.0	Chachai, MP	210.0	0.0	
	Satpura TPS		1330.0	Sarni, MP	1330.0	0.0	
	Sanjay Gandhi TPS		1340.0	Birsinghpur, MP	1340.0	0.0	
	SSTPS		2520.0	Khandwa	2520.0	0.0	
	Total Thermal		**5400**		**5400.0**	**0.0**	
Hydro Plants	**Gandhi Sagar**		115.0	Gandhisagar, MP	57.5	57.5	Rajasthan
	Rani Awantibai Sagar		90.0	Bargi, MP	90.0	0.0	
	Tons Complex	Sirmour,	315.0	Sirmour, MP	425.0	0.0	
		Deolond,	60.0				
		Sipara,	30.0				
		Zinna	20.0				
		Total	**425.0**				
	Birsinghpur		20.0	Birsinghpur, MP	20.0	0.0	
	Pench		160.0	Totladoh, Maharastra	106.7	53.3	Maharastra
	Rajghat		45.0	Chanderi, MP	26.9	18.1	Uttar Pradesh
	Madhikheda		60.0	Shivpuri, MP	60.0	0.0	
	Total Hydro		**915.0**		**786.1**	**128.9**	
Total (Thermal + Hydro)			**6315.0**		**6186.1**	**128.9**	
Hydel Power Station Installed at other State							
R P Sagar			172.0	Kota, Rajasthan	86.0	86.0	Rajasthan
Jawahar Sagar			99.0	Kota, Rajasthan	49.5	49.5	Rajasthan
Total (Thermal + Hydro)					**6321.6**	**264.4**	

2.0 अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) का उद्देश्य)

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की सलाह के अनुरूप, MPPGCL अपने सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग की योजना बना रहा है। यह MPPGCL की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि अवशेष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे कि संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के क्षेत्र में उद्यमियों के निवेश और विकास को बढ़ावा देगा।
- उपरोक्त उद्देश्यों के साथ, MPPGCL अपने सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों की उपलब्धता और आपूर्ति के लिए उद्यमियों / व्यक्तियों / एकमात्र प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप / कंसोर्टियम / कंपनी / कोऑपरेटिव सोसाइटीज / टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स (आवेदक) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।
- EOI के माध्यम से आवेदकों की पहचान करने के बाद, जो इस दस्तावेज़ में सूचीबद्ध MPPGCL के तापीय बिजली संयंत्रों के लिए बायोमास पेलेट्स, धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों की उपलब्धता और आपूर्ति में रुचि रखते हैं, MPPGCL भविष्य में इस हेतु निविदा आमंत्रित करेगा।

3.0 बायोमास पेलेट्स के उपयोग से होने वाले लाभ

- MPPGCLके अधिकांश बिजली संयंत्र कोयले पर चल रहे हैं। अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, MPPGCL, बायोमास सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ-साथ धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेष आधारित पेलेट्स का उपयोग करने की योजना बना रहा है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए UNFCCC द्वारा मान्यता प्राप्त एक तकनीक है।

कोयला आधारित बिजली संयंत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अतिरिक्त, पावरप्लांट में धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेष आधारित पेलेट्स के उपयोग से वायुप्रदूषण में कमी आएगी। जो किसानों द्वारा खेतों में अपशिष्ट (यानी धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों) के रूप में जलाने से बढ़ता है।

- CO_2 उत्सर्जन और वायुप्रदूषण में कमी - यह उल्लेखनीय है कि पावरप्लांट में कृषि अवशेष आधारित बायोमास पेलेट्स के दहन से उत्सर्जित CO_2 (कार्बन-डाई-ऑक्साइड) की बराबर मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अगले फसलचक्र में अवशोषित हो जाती है, इसलिए कृषि अवशेष आधारित बायोमास पेलेट्स के दहन में CO_2 उत्सर्जन नहीं होता है एवम वातावरण में CO_2 सांद्रता में वृद्धि नहीं होती है और इस तरह इसे कार्बन न्यूट्रल ईंधन भी कहा जाता है जो ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है।
- इसके अलावा, एग्रो अवशेष संग्रह, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए डीजल और बिजली की खपत से CO_2 उत्सर्जन बहुत ही नगण्य है क्योंकि समर्पित छोटे बायोमास बिजली संयंत्रों की तुलना में उच्च दक्षता वाले बड़े कोयले वाले बिजली संयंत्रों में इसके उपयोग से CO_2 उत्सर्जन में बचत होती है। यह बायोमास को सह-फायरिंग हेतु एक जेनर विकल्प बनाता है।
- खेतों में जलने वाला बायोमास अपशिष्ट वातावरण में बड़ी मात्रा में राख / कालिख / असंतृप्त कार्बन का उत्सर्जन करता है जो वायुप्रदूषण का वास्तविक कारण है और वातावरण में पीएम 2.5(Particulate Matter-2.5) और पीएम 10 के स्तर को बढ़ाता है। जब कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कृषि अवशेषों पर आधारित ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो यह पूरी तरह से बिजली संयंत्र में जलता है और इसके दहन से निकलने वाली राख इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ESP) में अवशोषित हो जाती है जो इससे बिजली पैदा करते समय वायुप्रदूषण को रोकती है।
- किसानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, यह पता चला है कि किसान बायोमास अपशिष्ट को जलाते हैं क्योंकि वे इसे कम समय उपलब्धता के मद्देनजर अगली फसल के लिए जमीन तैयार करने के लिए सबसे सस्ता, सबसे तेज और

आसान साधन मानते हैं। खेतों में जलने से मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है और किसान स्वेच्छा से बायोमास अपशिष्ट नहीं जलाते हैं लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।

- अतः, तापीय बिजली संयंत्रों में बायोमास पेलेट्स के रूप में धान के पुआल और अन्य कृषि अवशेषों पर आधारित ईंधन का उपयोग इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय तैयार करेगा और किसान को तेज, आसान और अधिक किफायती विकल्प प्रदान करेगा जो खेतों में जलते हुए बायोमास पेलेट्स को हतोत्साहित करेगा। यह कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अलावा वायुप्रदूषण को भी कम करेगा। इससे रोजगार के अवसर और किसान की आय भी बढ़ेगी।

4.0 कृषि संरक्षण और बिजली उत्पादन की क्षमता

- MNRI (वर्ष 2002-04 के सर्वेक्षण डेटा के अनुसार) के सहयोग से IISC बैंगलोर द्वारा तैयार 'बायोमास रिसोर्स एटलस ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, भारत प्रतिवर्ष लगभग 511 मिलियन टन कृषि अवशेष उत्पन्न करता है, जिसमें से लगभग 145 मिलियन मीट्रिक टन / वर्ष कृषि अवशेष अधिशेष रह जाता है, जिसे पशुचारे के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि अधिशेष कृषि अवशेषों को बायोमास पेलेट्स के रूप में एकत्र, संग्रहित और संशोधित किया जाता है, तो यह मामूली संशोधनों के साथ कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पहले से स्थापित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके नवीकरणीय बिजली के लगभग 30000 मेगावाट चौबीसों घंटे (RTC) उत्पन्न करने में सक्षम है। यदि पूर्ण अधिशेष कृषि अवशेष बिजली उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाता है, तो यह भारत के सभी कोयले से संचालित बिजली संयंत्रों के लगभग 10-15% कोयले की जगह ले सकता है।

5.0 MPPGCL के तापीय बिजली संयंत्रों की सूची

- MPPGCL अपने तापीय बिजली संयंत्रों में एग्रोअवशेषों से बने बायोमास पेलेट्स द्वारा कोयले के 10% को बदलने की योजना बना रहा है। MPPGCL के तापीय बिजली संयंत्रों हेतु प्रतिवर्ष आवश्यक बायोमास पेलेट्स की मात्रा निम्नतालिका में सूचीबद्ध की गई है।

तापीय विद्युत्गृह	उत्पादक क्षमता (MW)	स्थान	प्रतिवर्ष आवश्यक बायोमास पेलेट्स की मात्रा (LMT)
अमरकंटक ताप विद्युत्गृह	210 X 1	चचाई, अनूपपुर	0.75
संजय गाँधी ताप विद्युत्गृह	210 X 4, 500 X 1	बिरसिंगपुर, पाली	4.8
सतपुड़ा ताप विद्युत्गृह	200,210 X 3, 250 X 2	सारणी, बैतूल	5.2
श्री सिंगाजी ताप विद्युत्गृह	600 X 2, 660 X 2	डोंगलिया, खंडवा	7.1
		कुलमात्रा	17.85

- वार्षिक आवश्यकता 100% प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर अनुमानित है और केवल सांकेतिक है। हालाँकि, ऊपर दी गई वार्षिक आवश्यकता को वास्तविक संयंत्र भारकारक और MPPGCL की आवश्यकता के आधार पर बदला जा सकता है।

6.0 <u>बायोमास पैंलेट्स की विशिष्ट तकनीकी विशिष्टता</u>

बायोमास पैंलेट्स के अस्थायी तकनीकी विनिर्देश नीचे दिए गए हैं जो सिर्फ संकेत हैं और बायोमास पैंलेट्स के तकनीकी विनिर्देश के बारे में आवेदकों को परिचित करने के उद्देश्य से हैं। हालाँकि, आगामी निविदा के दौरान तकनीकी विनिर्देश MPPGCL की आवश्यकता के आधार पर संशोधित किये जा सकते हैं।

S.No.	Technical data	Unit	Specification for Biomass pellets
1	Base material	-	Agro residue/ crop residue
2	Diameter	mm	Not more than 25 mm
3	Gross Calorific Value(GCV-ARB*)	KCal/kg	3500- 4200
4	Moisture (ARB*)	Wt %	Not more than 9%
5	Ash(ARB*)	Wt %	Not more than 35%

ध्यान दें-

- ARB * - एयर ड्राइड बेसेस
- वास्तविक जीसीवी से अधिक या कम GCV प्राप्त होने पर प्रदत्त मूल्य में संशोधन किया जायेगा ।निर्धारित सीमाओं के भीतर निर्दिष्ट GCV के लिए उद्धृत मूल्य दिया जायेगा ।
- तकनीकी विनिर्देश में दिए गए पैंलेट्स का कण आकार वितरण वास्तविक ऑपरेटिंग अनुभव के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

- कृषिअवशेष / फसल अवशेष का अर्थ है फसल या कृषि के बचे हुए हिस्से जैसे कि ठूंठ / पुआल / डंठल / भूसी / बागवानी अपशिष्ट आदि।
- लकड़ी के काम के कारखाने (जैसे लकड़ी, लकड़ी के चिप्स, धूल, फर्नीचर के कचरे आदि) का बायप्रोडक्ट कृषि / फसल अवशेष के रूप में नहीं माना जाएगा।
- कृषिअवशेष पैंलेट्स को एकल या एकाधिक कृषि / फसल अवशेषों का उपयोग करके निर्मित किया जा सकता है।
- आवश्यकता पड़ने पर पैंलेट्स के निर्माण के लिए प्राकृतिक योजक / बाइंडर जैसे लिग्निन, स्टार्च, पशुगोबर आदि का उपयोग किया जा सकताहै।
- यदि लंबे समय में बॉयलर पर आधार सामग्री / एडिटिव्स / बाइंडर का कोई प्रतिकूल प्रभाव पाया जाता है, तो MPPGCL किसी भी आधार सामग्री / एडिटिव / बाइंडर को बाहर करने या उनके अनुपात को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.0 आगामी निविदा की प्रस्तावित मुख्य विशेषताएं

- योग्यता की आवश्यकता - EOI में भाग लेने के लिए पात्रता के समान।
- दैनिक आधार पर आपूर्ति की जाने वाली न्यूनतम मात्रा- 4900 टन प्रतिदिन मात्रा आवंटन और मूल्य निर्धारण मात्रा MPPGCL की आवश्यकता के आधार पर उद्धृत मूल्य के आरोही क्रम में (L-1/L-2/L-3 etc. के क्रम में) आवंटित की जाएगी। इसके अलावा, MPPGCL टेंडरिंग चरण के दौरान किसी भी समय इसे संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
- इच्छुक आवेदकों को MPPGCL को बायोमास पैंलेट्स की आपूर्ति शुरू करने के लिए पर्याप्त समय अवधि दी जाएगी। हालांकि, अगर कोई पार्टी चाहे जल्दी आपूर्ति करने के लिए, यह आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकता है।

अनुभाग- III

EOI का आवेदन: -

Sr. No.	Particulars	Details
1	Name of the firm / Organization /Company	
2	Postal Address (for Correspondence)	
(i)	Phone No. / Fax No.	
(ii)	E-mail address	
3	Please confirm that all commercial terms and conditions as mentioned in the EOI document are acceptable.	
4	GSTN No.	
5	PAN No.	
6	Name of the Plant	

Signature.....

Name.....

Designation.....

Seal or Stamp.....

ध्यान दें-

- अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए, अनुभाग -III में दिए गए आवेदन पत्र और अनुलग्नक को विधिवत रूप से भरा जाए और उन्हें आवेदकों द्वारा ई-मेल के माध्यम से MPPGCL को भेजा जाए।
- आवेदन भरने और जमा करने से पहले आवेदकों को खंड - I और खंड - II का अध्ययन कर लेना चाहिए।
- आवेदक को यह सुनिश्चित किया जाता है, कि यह निविदा / बोली आमंत्रण नहीं है।
- आवेदन पत्र जमा करते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है जिसके बिना EOI को अस्वीकार कर दिया जाएगा:

1.0 GSTN और फर्म का PAN No. (या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने पर) और उसी के दस्तावेजों के समर्थक दस्तावेज ।

2.0 पता / संपर्क नंबर / ई-मेल पता / संपर्क व्यक्ति का नाम

3.0 नए उद्यमी / इच्छुक पक्ष जो इस स्तर पर मूल्य की पेशकश करने में असमर्थ हैं, लेकिन भविष्य की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार हैं, EOI में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें कम से कम पौधे के नाम का उल्लेख करना चाहिए, जिससे वे बायोमास पैंलेट्स की आपूर्ति करना चाहते हैं।